परियोजना का नामः- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा बैड) तक दो लेन चौडीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव **हेतु** उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है ।

अधिशाषी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट, उत्तराखण्ड,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

ANNEXUYE

OFFICE THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarakashi (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act(FRA). 2006.

A meeting of the district level Committee of Garhwal district. constituted under FRA. 2006 was held under the Chairmanship of Dr. Ashish Chauhan District Magistrate Uttarakashi on date 19-05-2017 at Time 11.00 AM at Uttarakashi in which application claiming rights in Forest land area measuring 5.969 hect for the Rehabilitation and widening of N.H PWD Barkot divison uttarakashi forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Divison level Committee of Dunda sub division were discussed to consider the same for admission by the district level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

place: Uttarakashi

Dated: 12-10-2018

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarakashi

ANNEXUYE

FORM-1

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

No Dated

TO WHOWSOEVERIT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98 (pt-) dated 3rd August 2009 wherin the MoEF issued guidelinses on sunmission of evidences for having intiatd and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects. it is certified that 5.969 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of N.H PWD Barkot divison uttarakashi District falls within juri nsdiction Villages:- fedi & kumrada Dunda Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 5.969 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee are annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Sub- Division level committee given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Fencl- As above.

जिलाधिकारी

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate

Uttarakashi

It is certified that- Minute of meeting of Construction of N.H PWD Barkot division all wathere road km.0.00 to 24.300 section in the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

S .no		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 5.969 Hect. of reserve forest area proposed for deversion . A copy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee (s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes. copy records attaché as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwallers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid is from N.H PWD Barkot Uttarakashi section in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not innvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate-cum Chairman
District Level Committee
Uttarakashi

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिती जिला उत्तरकाशी

आज दिनांक 12-10-18 को जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के ग्राम फेडी कुमराडा के उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग -- 94 (134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासु बैड से सिल्यारा बैड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडींकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंन्ट जोन के लिए 5.969 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध मे वन अधिकार अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति

क0स	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	डा0 आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री सन्दीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
3	कु0 हेमलता पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	Hemlata जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी	जि0पं0 सदस्य उत्तरकाशी
5	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य वार्ड न0 4, उत्तरकाशी	अनीता सदस्या जिला पंचायत-04 लदाड़ी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य वार्ड न0 16, उत्तरकाशी	अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य वार्ड-16 जिला- उत्तरकाशी

(69)

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग–94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा बैड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंन्ट जोन के लिए **5.969** हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **डुण्डा**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, **डुण्डा**

उपखण्ड **डुण्डा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **उपरोक्त परियोजना निर्माण** हेतु (आरक्षित वन भूमि 5.566 **हे0**, सिविल एवं सोयम वन भूमि**0.403हे0** वन पंचायत भूमि **– हे0**, अर्थात कुल **5.969 हे0** आरक्षित वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील डुण्डा की दिनांक 8-10-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री सौरभ असवाल,** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. **श्री सौरभ असवाल** उपजिलाधिकारी **डुण्डा** अध्यक्ष	उपजिलाधिकारी डुण्डा, उत्तरकाशी
2. **श्री आर0बी0 सिहं** उप प्रभागीय वनाधिकारी **उत्तरकाशी** सदस्य	SDO DL
3. **श्री सन्दीप राणा** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **डुण्डा** सदस्य / सचिव	सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड
4. **श्री कनक पाल** बी0डी0सी0 प्रमुख **डुण्डा** सदस्य	प्रमुख क्षेत्र पंचायत डुण्डा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **उपरोक्त मार्ग के परियोजना निर्माण** हेतु 5.969 **हे0** वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2 पर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **<u>डुण्डा</u>** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की ज़ा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **<u>डुण्डा</u>** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **<u>उपरोक्त मार्ग परियोजना निर्माण</u>** हेतु ..5.969... **हे0** वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– <u>डुण्डा</u> (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **उत्तरकाशी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– <u>डुण्डा</u> (उत्तरकाशी)